



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा

फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट: urban.rajasthan.gov.in/kota

एफ 11/नीलामी/2021/4634

दिनांक: 09/04/2021

ई-आक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर

नगर विकास न्यास द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से सुभाष नगर योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-सीपी-II-कार्नर को नीलाम किया जा रहा है। भूखण्ड के सामने 24 मीटर एवं पीछे 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है। यह भूखण्ड अनन्तपुरा योजना एवं न्यास की अन्य विकसित आवासीय योजनाओं के समीप स्थित है। ई-ऑक्शन का आरम्भ दिनांक 28-04-2021 प्रातः 11.00 बजे से शुरू होगा दिनांक 30-04-2021 को दोपहर 1:00 बजे समाप्त हो जायेगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में) नियम / शर्तें एवं अन्य जानकारी urban.rajasthan.gov.in/uitkota एवं udhonline.rajasthan.gov.in/ कार्यालय समय में न्यास में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष 0744-2500539/(Helpline For Online Support-01412560211 पर सम्पर्क करें।


ई-ऑक्शन के माध्यम से सुभाष नगर योजना में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या -सीपी-II

कार्नर क्षेत्रफल (2278.125 वर्गमीटर)

प्रारम्भिक नीलामी दर:- 22000/- प्रति वर्गमीटर

आरक्षित दर:-6500/- प्रति वर्गमीटर

धरोहर राशि:-1002400/-



सचिव

1. नीलागी विवरण:-

क्र.सं.	विवरण	नीलागी कार्यक्रम
1	भूखण्ड संख्या:- सीपी-11 कॉर्नर योजना का नाम:- सुभाष नगर योजना में व्यवसायिक भूखण्ड	2278.125 वर्गमीटर
2	नीलागी में भाग लेने हेतु पंजीयन शुल्क	500/- रुपये
3	घरोहर राशि	1002400/- रुपये
4	नीलागी प्रारम्भिक दिनांक एवं समय	28.04.2021 प्रातः 11:00 बजे
5	नीलागी समाप्ति दिनांक एवं समय	30.04.2021 दोपहर 1:00 बजे (अन्तिम 5 मिनट में खतः बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में)
6	प्रारम्भिक नीलागी दर	22000/- प्रति वर्गमीटर
7	न्यूनतम बोली वृद्धि दर	50/- प्रति वर्गमीटर (बोलीदाता लगातार एक से अधिक बोली रु. 50/- के गुणक में बढ़ा सकता है)
8	आरक्षित दर	6500/- प्रति वर्गमीटर


2. साईट प्लान

3. भूखण्ड का तकनीकी मापदण्ड :- सीपी-11 कॉर्नर

- सेट बैक :- भूखण्ड
- फन्ट :- 12.00 मीटर
 - बेक :- 6.00 मीटर
 - साईड-1 :- 6.00 मीटर
 - साईड-2 :- 6.00 मीटर
 - वी.ए.आर. :- 2 (मानक)
 - आच्छादित क्षेत्र :- सेट बैक क्षेत्र के अन्दर
 - अन्य मापदण्ड :- 1. अधिकतम ऊँचाई एवं अन्य तकनीकी मापदण्ड
एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार
:- 2. आवासीय निर्माण करने पर मुख्यमंत्री जन
आवास योजना 2015 के प्रावधान लागू होंगे।

4. भूखण्ड की विशेषताएँ:

- (अ) भूखण्ड के सामने 24 मीटर व पीछे 12 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है।
(ब) न्यास की विकसित आवासीय योजनाओं के समीप स्थित है।
(स) एम0 बी0 एस0 मार्ग से सुगम पहुँच उपलब्ध है।


सचिव

नोट:- श्री संजीव शर्मा कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है की न्यास की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।